



प्रेषक,

इन्द्र विक्रम सिंह,

सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 23 अप्रैल, 2026

विषय:- जनपद हाथरस के सिकन्दाराऊ में ग्राम-रतनपुर, हुसैनपुर, तहसील-सिकन्दाराऊ, जनपद-हाथरस की खसरा संख्या-263, रकबा 10.012 हेक्टेयर भूमि में से 01 हेक्टेयर भूमि को उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम के उपयोगार्थ/निवर्तन हेतु परिवहन विभाग के पक्ष में निःशुल्क नामान्तरण/हस्तांतरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या:एस०एफ०/1952-जी//भूमि हस्ता०/2025-26 दिनांक 23 फरवरी 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनपद हाथरस के सिकन्दाराऊ में ग्राम-रतनपुर, हुसैनपुर, तहसील-सिकन्दाराऊ, जनपद-हाथरस की खसरा संख्या-263, रकबा 10.012 हेक्टेयर भूमि में से 01 हेक्टेयर भूमि को उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम के उपयोगार्थ/निवर्तन हेतु परिवहन विभाग के पक्ष में निःशुल्क नामान्तरण/हस्तांतरण के सम्बन्ध में मा० मंत्रि-परिषद की टिप्पणी पर कृषि विभाग का मंतव्य उपलब्ध कराया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोंपरांत प्रदेश की जनता को सुगम सस्ता, सुलभ परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिये ग्राम-रतनपुर, हुसैनपुर, तहसील-सिकन्दाराऊ, जनपद-हाथरस की खसरा संख्या-263, रकबा 10.012 हेक्टेयर भूमि में से 01 हेक्टेयर भूमि को उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम के उपयोगार्थ/निवर्तन हेतु परिवहन विभाग के पक्ष में निःशुल्क नामान्तरण/हस्तांतरण किए जाने का निर्णय लिया गया है।

कृपया उपरोक्त के सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें

भवदीय,

इन्द्र विक्रम सिंह

सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या:25/2026/555(1)/2026/2040995/12-2099/119/2026 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, परिवहन विभाग, उ०प्र० शासन।
2. परिवहन आयुक्त, उ०प्र०।
3. जिलाधिकारी, हाथरस को उनके पत्रांक-1167/डी०एल० आर०सी०-2025 दिनांक 26.05.2025 के क्रम में।
4. प्रबन्ध निदेशक, परिवहन निगम, लखनऊ।
5. संयुक्त कृषि निदेशक, अलीगढ़।
6. जिला कृषि अधिकारी, जनपद-हाथरस।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सर्वेश कुमार सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।